2022/208

फर्द अहकाम

गौरीशंकर बनाम जगदीश

म न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी

स संख्या 143/22

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/2/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता राजेश शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी स. 1 के अधिवक्ता सुधीर शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी स. 2 के विरुद्ध मूलवाद में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी स. 1 के जवाब T.I. हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब T.I. प्रस्तुत नहीं किया अतः अप्रार्थी स. 1 का जवाब बंद किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी ख.न. 8 रकबा 0.5311 हैक्टर स्थित ग्राम दुधली प.ह. दुधली तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष ता फैसला वाद के उक्त वादग्रस्त आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	